झारखण्ड सरकार

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
के प्रथम सत्र

में

डॉ. सैयद अहमद
माननीय राज्यपाल, झारखण्ड

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के प्रथम सत्र में आप सभी को सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि चतुर्थ विधान सभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं आशा करता हूँ कि सभी निर्वाचित विधायक झारखण्ड के चहुँमुखी विकास से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही माननीय सदस्यों और झारखण्ड के निवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ।

2. लोकतंत्र का यह मूलमंत्र है कि लोगों के वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हो। झारखण्ड की जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से अपने विवेक का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधियों को चुना है। हमारे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि झारखण्ड के इतिहास में पहली बार हिंसामुक्त चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई। राज्य में नई सरकार का गठन प्रदेश को सकारात्मक नेतृत्व तथा राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी और ऐसा वातावरण पैदा करने में सफल होगी जो प्रदेश में विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि समाज का हर वर्ग राज्य की विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सबकी सम्मिलित सृजनात्मक ऊर्जा इस राज्य के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार झारखण्ड राज्य की सम्पूर्ण जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी।

3. राज्य के चतुर्दिक विकास की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी सजगता एवं चौकसी के साथ कार्य करेगी और स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करेगी। सरकार विकास के संकल्प पर काम करेगी ताकि राज्यवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप भय, भूख तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

4. राज्य में अपराधमुक्त, भयमुक्त तथा अन्यायमुक्त समाज का निर्माण करना हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा। समाज के वैसे वर्ग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का शिकार रहे हैं, विशेष कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों को विकास की नीति के निर्धारण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य में जाति, धर्म एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गो के हितों का समुचित ध्यान रखा जायेगा।

5. हमारी सरकार लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए संतुलित एवं समेकित विकास के लिए वचनबद्ध है। मैं यह बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनायेगी। राज्य के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार कदापि क्षम्य नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा जिससे कि वे अपने दायित्वों को प्रभावकारी रूप से निष्पादित कर सकें।

6. राज्य सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि जब तक सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में पर्याप्त रूप में मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होगा, तब तक राज्य में विकासात्मक कार्यक्रमों को आशातीत गति नहीं दी जा सकेगी। इस हेतु जिला एवं सभी अन्य स्तरों पर उपलब्ध रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी, जिससे विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समयबद्ध रूप से आम जनता तक पहुँचाया जा सके।

7. हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था ग्रामीण है, जिसकी 70–80 प्रतिशत आबादी अभी भी जीविका हेतु कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर करती है। यद्यपि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79 लाख हेक्टेयर में से 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, परन्तु फिर भी सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में हम खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। मेरी सरकार राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सिंचाई के साधनों का विकास करेगी एवं इंटिग्रेटेड फार्मिंग योजना का विस्तारीकरण किया जायेगा। इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी तथा कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। सिंचाई हेतु चेक डैम तथा तालाब की योजनाओं का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा। 300 समेकित बिरसा पक्का चेक डैम का निर्माण पंचायत समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके फलस्वरुप लगभग 6750 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 500 समेकित बिरसा पक्का चेक डैम का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 11250 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा विकसित की जा सकेगी।

8. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि के अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। शत–प्रतिशत बीजोपचार की योजना अन्तर्गत 9678 सीड ड्रम का वितरण कृषकों के बीच किया गया एवं प्रखंड स्तर पर 6026 कैंपों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त 148408 क्विंटल बीजोपचार किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में फसल आच्छादन, उत्पादकता एवं फसल सघनता में भी बढ़ोतरी करने का भरपूर प्रयास किया जायेगा।

9. बीज विनिमय एवं वितरण योजना अन्तर्गत 65000 क्विंटल बीज का वितरण राज्य के कृषकों के बीच लैम्पस/पैक्स के माध्यम से किया गया। पूर्वी भारत में द्वितीय हरित क्रांति का विस्तार योजना अन्तर्गत 59950.70 हेक्टेयर में धान के उन्नत एवं शंकर प्रभेद बीज का प्रत्यक्षण किया गया। साथ ही 5378 पम्पसेट, 10 रोटाभेटर एवं 1 पैडीरीपर कृषकों के बीच वितरित किया गया। किसानों के बीच बीज, सूक्ष्म तत्व, कृषि रसायन आदि उपादान शत–प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया गया। शत–प्रतिशत बीजोपचार की योजना अन्तर्गत 9678 सीड ड्रम का वितरण कृषकों के बीच किया गया एवं प्रखंड स्तर पर 6026 कैंपों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त 148408 क्विंटल बीजोपचार किया गया।

10. राज्य में गव्य विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की समुचित बिक्री की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि. (MILKFED) का गठन व निबंधन कराया गया है, जिसका प्रबंधन एवं संचालन भार प्रथम चरण में 5 (पाँच) वर्षों के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेण्ट बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) को सौंपा गया है।

11. दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि हेतु कुल 860 डेयरी पशु विकास केन्द्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 150 नए डेयरी पशु विकास केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2014–15 में 3,10,442 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है और 4,91,76 उन्नत नस्ल की बछिया का जन्म हुआ है।

12. मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य को स्वावलम्बी बनाने के लिए 1 लाख 15 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौशल विकास योजना अंतर्गत 8050 मत्स्य कृषकों को

वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही विभागीय योजनाओं एवं मछली पालन की नई विधियों से अवगत कराने हेतु पंचायत स्तर पर 40 हजार मत्स्य कृषकों के लिए ग्राम गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं।

13. मछुआ कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये प्रति इकाई दर से 86,694 मछुआरों को सामूहिक आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। कौशल विकास योजना अंतर्गत 8050 मत्स्य कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

14. वित्तीय वर्ष 2013–14 में दूध, मांस एवं अंडा का उत्पादन क्रमश: 1699.83 हजार टन, 454.50 लाख किलो एवं 444.50 मिलियन हुआ है। हमारी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए पशुधन उत्पादन यथा 1766 हजार टन दुग्ध, 487.70 लाख किलो माँस एवं 465.40 मिलियन अण्डा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

15. हमारी सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के गरीब नागरिकों को स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाकर राज्य की ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में सतत् प्रयास करेगी। सहकारिता, विकास का एक सशक्त माध्यम है, जो परस्पर सहयोग पर आधारित एक जन आंदोलन है, जिसके मूल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की भावना अंतर्निहित है।

16. यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि महिलाएँ हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमें उनके आर्थिक विकास की दिशा में ठोस पहल करनी होगी। राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें सीड मनी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गई है। हमारा प्रयास होगा कि शेष

ग्रामीण महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्तम्भ के रूप में खड़ा किया जाए।

17. राज्य सरकार झारखण्ड के चतुर्दिक एवं सर्वांगीण विकास को सतत् रूप से गतिमान रखने हेतु प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास तथा कल्याण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए ताकि उपलब्ध राशि का उचित उपयोग हो सके। इस हेतु राज्य सरकार कार्यों को लक्ष्यबद्ध करते हुए उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य करेगी। चालू वित्तीय वर्ष में सम्पन्न लोकसभा एवं विधान सभा के आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ विलम्ब हुआ है, तथापि हमारी सरकार की यह सोच है कि इस वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में कार्य योजना निर्धारित कर विलम्बित योजनाओं को पूर्ण कर इनका लाभ जन–जन तक पहुँचाया जाए। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कर्णांकित राशि में से अधिक–से–अधिक राशि राज्य को उपलब्ध हो सके।

18. हमारी सरकार गाँवों में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अधिक–से–अधिक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किये जायेंगे। मनरेगा में बिचौलियों की भूमिका के बारे में समय–समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। मजदूरों का हक छीनने का प्रयास करने वाले वैसे बिचौलियों के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा।

19. झारखण्ड की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा असंगठित मजदूर के रूप में कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करता है। वैसे मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए

श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। मजदूरी की दरों में भी आवश्यकतानुसार बढ़ोत्तरी की जायेगी।

20. राज्य में उद्योगों एवं आधारभूत संरचना की स्थापना हेतु ग्रामीणों की भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है जिससे विस्थापन की समस्या खड़ी होती है। हमें विस्थापितों की पीड़ा को समझना होगा। राज्य की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की समीक्षा कर इसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए और अधिक हितकारी बनाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार की यह एक प्रमुख प्राथमिकता होगी कि उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण को ग्रामीणों के हित में और अधिक लाभकारी बनाया जाए। इससे एक ओर राज्य में उद्योगों एवं आधारभूत संरचना की स्थापना को बल मिलेगा, साथ ही विस्थापितों के हितों की भी रक्षा की जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेने की दिशा में भी ठोस पहल की जायेगी।

21. राज्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों के विशाल भंडार मौजूद हैं, बावजूद इसके ऊर्जा के मामले में राज्य की स्थिति सोचनीय है। हमारी सरकार लोगों को 24x7 बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली, वेस्ट टू एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देते हुए वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र से माँग का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित कराने का प्रयत्न किया जायेगा।

22. हमारी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य नगरीय सुविधायें सहज रूप से उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन-स्तर में उत्थान लाने हेतु प्रतिबद्ध है।

23. प्रारंभिक शिक्षा को अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। मेरी सरकार इस संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूर्ण करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठायेगी और सुनिश्चित करेगी

कि राज्य का कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विकास हेतु राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में दो मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जायेगा। उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधायें सृजित करने हेतु राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

24. किसी भी देश की प्रगति और उसका मानवीय विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। हमारी सरकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी को विद्यार्थियों में अत्यधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी। गरीबी कम करने, भुखमरी से निपटने और बीमारियों पर विजय प्राप्त करने में वैज्ञानिकों की भूमिका अहम होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से राष्ट्रीय सीमा को हटाया जा सकता है तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए साझा प्रयास किया जा सकता है। हमारे मंगलयान को पहले ही प्रयास में उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए हमारी सरकार देश के वैज्ञानिकों को बधाई देती है।

25. हमारी सरकार राज्य में डिग्री एवं डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ससमय परीक्षा के आयोजन, परीक्षाफल प्रकाशन एवं शैक्षणिक सत्रों में एकरूपता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करवायेगी, जिससे राज्य के सभी तकनीकी संस्थान इसके नियंत्रण में आ जायेंगे। विज्ञान एवं प्रावैधिकी के विकास हेतु नामकुम में प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। विज्ञान व प्रौद्योगिक गतिविधियों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत् निवेश करने के लिए हमारी सरकार उद्यमियों का आह्वान करती है। हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान व विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

26. निजी क्षेत्रों के तकनीकी संस्थानों को एक Plateform पर सभी आधारभूत संरचनाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा परिसर (Technical Education Hub) की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य की राजधानी, राँची के आस-पास पर्याप्त भूमि (500 एकड़) चिह्नित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। तकनीकी शिक्षा परिसर का मूल उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तायुक्त सर्वांगीण विकास के लिए सभी आधुनिक सुविधाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध करते हुए उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान, शोध एवं विकास कार्य को बढ़ाना एवं Inter-disciplinary studies को प्रोत्साहित करना है।

27. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आई.आई.आई.टी. एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान के आधारभूत संरचना निर्माण के लिए संस्थानों को आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में नये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पोलिटेकनिक, आई.टी.आई. तथा पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की दिशा में भी कार्रवाई की जायेगी।

28. झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, राँची द्वारा राज्य के दूर-दराज इलाकों में शिक्षा की सुविधा पहुँचाने के लिए Tele Education Hub स्थापित किया जा रहा है। इससे दूर शिक्षा के द्वारा पूरे राज्य के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा मिल पायेगी। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के विस्तार में अभी तक राज्य के 24 संस्थान शामिल किए जा चुके हैं।

29. हमारी सरकार राज्य की जनता को डोर स्टेप डेलिवरी सिस्टम के तहत् सभी योजनाओं का लाभ सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से पहुँचाने का प्रयास करेगी। राज्य के विद्यार्थी को online scholarship उपलब्ध कराने, सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे राज्य में लगभग 11.28 लाख लाभुकों के बैंक खातों में सीधे भुगतान, पंचायतों को National

Optical Fiber Network (NOFN) से जोड़ने हेतु भारत सरकार एवं भारत ब्रॉड बैन्ड निगम लिमिटेड के साथ सरकार का करार किया जा चुका है।

30. राज्य में छह वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वभौमिक विकास हेतु समेकित बाल विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के लिए पूरक पोषाहार की व्यवस्था की जाती है, 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है एवं 3–6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों से समेकित बाल विकास योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए।

31. हमारी सरकार पूरक पोषाहार कार्यक्रम योजनान्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पका भोजन योजना के तहत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 130 ग्राम पंजीरी एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को 150 ग्राम उपमा प्रतिदिन अर्थात माह में 25 दिन एवं वर्ष में 300 दिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

32. राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना, विकलांग छात्रवृत्ति योजना एवं विकलांगों के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध कराने की योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए जिससे नि:शक्तजन इनका पूर्ण लाभ उठा सकें एवं राज्य एवं समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। राज्य की गरीब लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलायी जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का

भी मेरी सरकार इस प्रकार कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी कि राज्य की अधिक–से–अधिक बेटियों को इसका लाभ मिल सके। राज्य में प्रचलित डायन कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा सामाजिक जागरूकता पैदा करने एवं ग्रामीण स्तर पर लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम भी चलाया जायेगा।

33. मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कटिबद्ध है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में भी सकारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

34. सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना का जमीनी स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समुचित कदम उठाये जायेंगे। हमारी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे को बढ़ायेगी। इसके दायरे में सभी विधवाओं, आदिम जनजाति एवं वृद्धों को शामिल करने के बिन्दु को दृष्टिपथ में रखा जायेगा।

35. राज्य के मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति इत्यादि के खातों से भुगतान में सबसे बड़ी बाधा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव है, इसलिए पोस्ट ऑफिस में आधार केंद्रित भुगतान व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जा रही है। इस निमित्त 2800 माईक्रो ए.टी.एम लगाये जा रहे हैं।

36. अवैध मानव व्यापार की रोकथाम हेतु हमारी सरकार राँची एवं नई दिल्ली में एक–एक Resource Centre स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किशोरी बालिकाओं एवं युवा महिलाओं के राज्य से असुरक्षित पलायन एवं तदोपरान्त विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न एवं शोषण का शिकार होने की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमारी सरकार महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं हेतु झारखण्ड महिला समिति एवं रिनपास, राँची के सहयोग से संचालित किशोरी हेल्पलाईन–सह–परामर्श केन्द्र उमंग के अन्तर्गत जागरुकता अभियान चलायेगी।

37. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन तथा राज्य संसाधन केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न पदों तथा इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत् राज्य एवं जिला स्तरीय विभिन्न पदों की स्वीकृति हमारी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा, अत्याचार, उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए झारखण्ड महिला विकास समिति के माध्यम से महिला हेल्पलाईन 'अपराजिता' का संचालन अविलम्ब आरम्भ होगा।

38. समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। संस्थागत देख–रेख के लिए राज्य के 10 जिलों में सम्प्रेषण गृह, 4 जिलों में बाल गृह तथा 1 जिला में विशेष गृह का संचालन किया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के अन्य जिलों में भी बाल गृह का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 5 विशेष दत्तक ग्रहण संस्था कार्यरत हैं।

39. हमारी सरकार राज्य के सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। स्वस्थ झारखण्ड–सुखी झारखण्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण एवं उनको

पर्याप्त चिकित्सकों, पारा–चिकित्सा कर्मियों, नर्सों आदि एवं चिकित्सीय उपकरणों एवं सामग्रियों से सुसज्जित करने की नितान्त आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार प्राथमिकता से पूर्ण करेगी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को राज्य के सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों तक पहुँचायेगी जिससे राज्य के स्वास्थ्य सूचकांकों में सार्थक एवं गुणात्मक परिवर्त्तन लाया जा सके। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन तेजी से किया जाएगा।

40. राज्य सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन एवं मलिन बस्ती (स्लम) विकास की योजनाओं को मूर्त्त रूप देकर बेरोजगारी एवं कुपोषण दूर करने का कार्य करेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्व–नियोजन को बढ़ावा देगी। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिफॉर्म मिशन के अन्तर्गत राज्य में स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सम्पूर्ण स्वच्छता, सिवरेज ड्रेनेज सिस्टम एवं शहरी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को कार्यान्वित किया जायेगा।

41. हमारी सरकार राज्य के छह शहरों यथा राँची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर एवं दुमका को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने से प्रशासनिक, औद्योगिक, धार्मिक व पर्यटन के साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी राज्य की जनता को विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध होंगी।

42. राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। ग्रामीण संपर्क पथ आधारभूत संरचनाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

43. किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उन्नत पथ यातायात व्यवस्था परमावश्यक है। झारखंड राज्य की भौगालिक स्थिति ऐसी है कि पथ यातायात व्यवस्था एवं सुदृढ़ीकरण इसके विकास के लिए

नितांत आवश्यक है। गाँवों को प्रखण्ड मुख्यालय तथा प्रखण्ड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा। राजधानी राँची तथा विभिन्न जिला मुख्यालयों के बीच उपलब्ध पक्की सड़कों का चौड़ीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में लगभग 3435 करोड़ की लागत से 1745 किलो मीटर पथ एवं 35 अदद् पुलों का निर्माण कार्य सम्पन्न किया गया है। वर्ष 2014–15 में विभाग का बजटीय उद्व्यय रुपये 2500.00 करोड़ स्वीकृत है। इससे इस वर्ष लगभग 890 किलो मीटर पथ एवं 30 पुलों का निर्माण कार्य सम्पन्न किए जाने का लक्ष्य है जिसमें से अब तक 565 किलो मीटर पथ एवं 11 पुलों का निर्माण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। राजधानी राँची को राज्य के अन्य शहरों से जोड़ने के लिए हजारीबाग, धनबाद, डाल्टेनगंज, दुमका एवं देवघर से जोड़ने वाले पथों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

44. राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नयी जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण एवं पुराने स्त्रोतों का जीर्णोद्धार कर सभी नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल सुलभ कराने के प्रति हमारी सरकार कृतसंकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए अल्पव्ययी शौचालय का निर्माण कर राज्य को सम्पूर्ण स्वच्छता प्रदान करने के लिए भी हमारी सरकार दृढ़प्रतिज्ञ है।

45. धनबाद शहरी जलापूर्त्ति फेज–II जिसकी प्राक्कलित राशि 68.67 करोड़ है, वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। राँची शहरी जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत रुपये 290.00 करोड़ की राशि पर M/s. L&T को कार्यादेश निर्गत किया गया है जिसे लगभग 2 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा।

46. हमारी सरकार राज्य में उद्योगों की स्थापना करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन का प्रयास करेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नयी औद्योगिक नीति का गठन शीघ्र किया जायेगा। झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को विस्थापितों के हित में और लाभकारी बनाने की कार्रवाई की जायेगी। अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से रेशम एवं रेशम से जुड़े उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

47. अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण झारखण्ड राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है और उसके संवर्द्धन के लिए झारखण्ड पर्यटन नीति, झारखण्ड पर्यटन प्रोत्साहन भूमि नीति एवं झारखण्ड पर्यटन गृह आवासन योजना को अन्तिम रूप दिया जायगा। प्रत्येक जिले में पर्यटकों हेतु रेस्तराँ, पर्यटक सूचना केन्द्र, हस्तकला विपणन केन्द्र, शौचालय, आवासन सुविधाएँ, ए.टी.एम. काउण्टर आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी।

48. हम सब अवगत हैं कि झारखण्ड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए समय–समय पर आन्दोलन चलाये गये थे। वैसे आन्दोलनकारियों की कुर्बानी का हम सम्मान करते हैं। उनके विरूद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई तो की ही जायेगी, साथ ही साथ उन्हें सम्मान पेंशन भी स्वीकृत की जायेगी।

49. हमारी सरकार की यह अवधारणा है कि नक्सलवाद की समस्या का हल जनता के प्रति उत्तरदायी प्रशासन एवं कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर कार्यान्वयन करने तथा मुख्यधारा से भटके युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने से ही संभव है। सरकार ऐसे सभी भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास करेगी।

50. हमारी सरकार राज्य में प्रशासन को पारदर्शी, संवेदनशील एवं लोकप्रतिबद्ध बनाने के लिए कृतसंकल्प है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना हमारा लक्ष्य है। राज्य कर्मियों को उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए जवाबदेह बनाया जायेगा और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। जन शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर आपत्ति निराकरण सेल की स्थापना की जायेगी ताकि जनता की शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय–सीमा के अन्दर हो सके। राज्य सरकार के कर्मियों तथा पदाधिकारियों द्वारा जवाबदेही में किसी प्रकार की कोताही तथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गैर–जिम्मेदार अधिकारियों तथा कर्मियों के विरूद्ध त्वरित न्यायसंगत प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। राज्य के पुलिस तंत्र को जन आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किया जायेगा।

51. अंत में मैं आप सभी को पुन: बधाई देना चाहूँगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे और आपके विचार–विमर्श में सदैव नि:स्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं जनता का हित ही प्रमुख होगा। झारखण्ड की इस सबसे बड़ी पंचायत में आप सभी मिलकर एक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखण्ड के निर्माण के लिए प्रयत्नशील होंगे।

जय झारखण्ड ! **जय हिन्द !**

Setu Printers, 0651-6900670,71,72,73